तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/181/2006/डूंगरपुर केसर बाई बनाम पूंजालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.03.2019

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, डूंगरपुर जयपुर के समक्ष प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत कर अपीलार्थी के पक्ष में आंवटन सलाहकारी समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 113/92 दिनांक 21–5–1992 को मौजा बडगी स्थित खसरा नम्बर 251 में से 01बीघा एवं खसरा नम्बर 1104 में से 10बिस्वा कुल रकबा 01बीघा 10बिस्वा भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिला कलक्टर द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया तत्पश्चात् बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 22–09–2004 से प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 21–05–1992 को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–11–2005

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/181/2006/डूंगरपुर केसर बाई बनाम पूंजालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी अपीलार्थी को दिनांक 21–5–1992 को मिसल नम्बर 113/1992 के द्वारा विधिवत् रूप से आवंटन सलाहकार समिति की राय से उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा द्वारा आवंटित की गयी थी, जिसकी पालना में दिनांक 2–7–1992 को नामान्तरकरण संख्या 331 गैर खातेदारी का तथा नामान्तरण संख्या 495 दिनांक 29–11–2001 से खातेदारी का स्वीकृत किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का आवंटन वर्ष 1992 में नियमानुसार किया गया था तथा वर्तमान में विवादित आराजी उनकी खातेदारी में दर्ज है, जिसे अब निरस्त किया जाना उचित नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने वक्त आवंटन किसी भी तरह का कोई छल–कपट एवं गलत तथ्यों का अंकन नहीं किया बल्कि छपे हुए आवंटन प्रार्थनापत्र पर सभी कॉलमों का जवाब सही एवं सत्य दिया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/181/2006/डूंगरपुर केसर बाई बनाम पूंजालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलार्थी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 21–5–1992 को बहाल किया जावे।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन नियम, 1970 के नियमों के तहत अपीलार्थी विवादित आराजी के आवंटन का पात्र ही नहीं था, क्योंकि आवंटी का पति राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। उनका कथन है कि अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि वह अपने पति लालशंकर पाटीदार पर आश्रित थी तथा उसकी आजीविका का मुख्य साधन उसके पति का वेतन होने से वह सद्भावी कृषि की श्रेणी में नहीं आती है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 19–11–2018 को निर्णीत करना उचित समझते है। प्रार्थनापत्र में अंकित अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–1 चेतनलाल का देहान्त दिनांक 12–11–2018 को हो चुका है तथा उनके स्थान पर समाज द्वारा अध्यक्ष कन्हैयालाल शाह पुत्र जडाव चन्द शाह को बनाया गया है। प्रत्यर्थी संख्या–1 दिगम्बर दशा हुमड जैन समाज की ओर से उनके नवनिर्वाचित अध्यक्ष की ओर से पैरवी की जाती है, जिसे मृतक के स्थान पर रिकार्ड पर लिया जावे। अतः प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर नवनियुक्त अध्यक्ष कन्हैयालाल शाह को मृतक प्रत्यर्थी संख्या–1 चेतनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/181/2006/डूंगरपुर केसर बाई बनाम पूंजालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के स्थान पर रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आंवटन सलाहकारी समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 113/92 दिनांक 21–5–1992 को मौजा बडगी स्थित खसरा नम्बर 251 में से 01बीघा एवं खसरा नम्बर 1104 में से 10बिस्वा कुल रकबा 01बीघा 10बिस्वा भूमि गैर खातेदारी हक में अपीलार्थी केसरबाई को आवंटित की गयी। आवंटन नियम 1970 के नियम 2 (iii–8) के प्रावधानानुसार अपीलार्थी विवादित आराजी के आवंटन की पात्रता नहीं रखती थी क्योंकि आवंटी अपीलार्थी का पति लालशंकर वर्ष 1974 से राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर नियुक्त था। राजकीय सेवा में नियुक्त कर्मचारी तथा उस पर आश्रित सदस्य को प्रावधित प्रावधानों के अनुसार विवादित आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में अपीलार्थी के पति लालशंकर को राज्य सेवा में अध्यापक के पद पर नियुक्त होना माना है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने विवादित आराजी का आवंटन अपने पति के राजकीय सेवा में होने के तथ्यों को छुपाते हुए प्राप्त किया गया है, जो प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर विस्तर से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/181/2006/डूंगरपुर केसर बाई बनाम पूंजालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	